

570
19-1-17

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक साधिकार प्रकाशित	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary Published by Authority पौष 9, शुक्रवार, शाके 1938—दिसम्बर 30, 2016 <i>Pausa 9, Friday, Saka 1938—December 30, 2016</i>
---	--	--

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

कार्यालय जोधपुर नगर निगम

अधिसूचना

जोधपुर, दिसम्बर 27, 2016

संख्या 35422 :—पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के अधिसूचना प.8(1)/पर्या/99/पार्ट, जयपुर दिनांक 21.07.2010 के अध्यधीन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 258(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र जोधपुर हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं :—

“कोई व्यक्ति जिसमें कोई दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता, या फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाला या रेढ़ी वाला सम्मिलित है, माल के प्रदाय के लिये प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेगा और यह और निर्देश देती है कि कोई व्यक्ति जोधपुर नगर में प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय या परिवहन नहीं करेगा।”

घनश्याम औझा

महापौर

नगर निगम, जोधपुर।

अरुण कुमार हसींजो

आयुक्त

नगर निगम, जोधपुर।